फर्द अहकाम

रामनारायण बनाम लक्ष्मणी

न्यायालय [illegible] आमेर जयपुर

संख्या 48/2018

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	25/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। वाद वादी डिक्री किया जाता है। वादी को वाके ग्राम जयरामपुरा जयपुर के खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –48/2018 वाद प्रस्तुति दिनांक –04.04.2008

1. रामनारायण पुत्र बेणाराम (मृतक दौराने वाद) जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/1. जमना देवी पत्नी स्व. रामनारायण
1/2 हनुमान पुत्र स्व. रामनारायण
1/3 राजेश पुत्र स्व. रामनारायण
1/4 बरदी पुत्री स्व. रामनारायण
1/5 सीमा पुत्र स्व. रामनारायण
1/6 भौरी पुत्री स्व. रामनारायण

समस्त जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

............वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लच्छी देवी पत्नी नानगराम जाति माली हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर व जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री भगवानसहाय शर्मा – अधिवक्ता वादीगण
(2) श्री अजय सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

दिनांक 25.04.2025

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर वादी की खातेदारी का क्षेत्र है एवं वादी [illegible] समय दिनांक 04.08.1989 से निरंतर काबिज रह कर काश्त करता आ रहा है जो वाद [illegible] विवादित आराजी से संबोधित की जा रही है। वादी ने पूर्व खातेदार रामविलास पुत्र [illegible] कुमावत से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 के द्वारा खसरा नंबर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 97 दिनांक 21.08.1989 वादी के हक में स्वीकार हुआ है। ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के गत खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

524/1/1028 व 524/1/1029 रकबा 12 बीघा से वर्तमान बंदोबस्त में खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.01 हैक्टेयर बनाये गये थे इन नंबरान में पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र मांग्या व गोपाल पुत्र हनुमान के हिस्सा का रकबा 2.37 हैक्टेयर हिस्सा व श्रीमती मक्खन देवी व श्रीमती गीता देवी का 0.63 हैक्टेयर हिस्सा रकबा था इन्होंने वर्तमान खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर व 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर का अलग–अलग विक्रय पत्र द्वारा अलग–अलग व्यक्तियों को बेचान कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया था। पूर्व खातेदारान। के खातों में कोई भी रकबा इनका नहीं रहा। वर्तमान बंदोबस्त भू प्रबंध के कर्मचारियान ने प्रतिवादी संख्या 1 से साज करके वादी की आराजी खातेदारी खसरा नंबर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर में विवादित आराजी का नया बट्टा नंबर 1334/1925 डालकर 0.36 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 का कोई विधिक अधिकार या सरोकार नहीं है, ऐसी अवस्था में दावा दुरूस्ती, इन्द्राज अधिकार लाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी नंबर 1 ने आराजी खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है जिसका नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 30.06.1988 को स्वीकृत हुआ प्रतिवादी नंबर 1 अपने क्रय शुदा खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर पर काबिज है। खसरा नंबर 1334/1925 का क्षेत्र प्रतिवादी नंबर 1 ने क्रय नहीं किया और न ही क्षेत्र से प्रतिवादी नंबर 1 को कोई अधिकार प्राप्त है। नामांतरकरण संख्या 42 के कॉलम नंबर 16 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 0.90 रकबा का क्रय किया है, ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नंबर 1 क्रय किया गया क्षेत्र की ही अधिकृत खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर जिसे वादी ने पूर्व खातेदार से क्रय किया है एवं काबिज काश्त है से कोई सरोकार नहीं है अनाधिकार गलत अंकन होने से कोई अधिकार प्रतिवादी नंबर 1 को कोई अधिकार प्रतिवादी नंबर 1 को प्राप्त नहीं होते है। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियान् कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि वे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद रकबे को व इसके अनुसार नामांतरकरण स्वीकृत होने के पश्चात वादी के क्षेत्र को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश प्रतिवादी नंबर 1 के खाते में अनाधिकार रूप से दर्ज करे, ऐसी अवस्था में वादी दावा हाजा द्वारा घोषणाधिकार व दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 से विवादित आराजी की दुरूस्ती करवाने को कहा तो प्रतिवादी नंबर 1 ने दुरूस्ती करवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि उक्त [illegible] पर आप काबिज कायत है रिकॉर्ड की दुरूस्ती करवा देंगे। वादी द्वारा बार-बार कहने पर प्रतिवादी नंबर 1 के मन में खोट आ गया एवं दिनांक 02.02.200[illegible] को दुरूस्ती करवाने से कतई मना कर दिया तथा धमकियां धमकी दी कि वह उक्त आराजी जो उसके खाते में अनाधिकार अंकित की गई है को ऐसे व्यक्तियों को बेचान कर देगी जो वादी को जबरिया लठ्ठ के बल पर बेदखल कर देंगे, ऐसी अवस्था में दावा घोषणाधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा लाना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रविवादी नंबर 1 का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अनाधिकार गलत अंकन के आधार पर विवादित आराजी का बेचान करें वादी दुरूस्ती करवाने व प्रतिवादी नंबर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। वादी कारण दिनांक 02.03.2008 को तब उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नंबर 1 ने दुरूस्ती करवाने से कतई मना कर दिया एवं एलानियां धमकी दी कि वह उक्त आराजी का बेचान कर देगी तब से निरंतर जारी है। प्रतिवादी नंबर 1 वादी के कब्जा शुदा खातेदारी क्षेत्र का गलत अंकन के आधार पर बेचान कर देगी तो वादी को अर्पूतनीय क्षति होगी, ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नंबर 1 कोई स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ है। दावा बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नंबर 1334 / 1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार डिक्री जारी कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराया जावे। दावा बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी नंबर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा नंबर 1334 / 1925 वाके ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजामहत व दखलअंदाजी नहीं करें व नहीं अपने परिवार के सदस्यों एवं एजेंट व सर्वेंट से करावे वादी को शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देंवे। वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि मद संख्या 1 गलत लिखी हुई है, अस्वीकार है। ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के गत खसरा नंबर 524 / 1 / 1028 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर, गत खसरा नंबर 524 / 1 / 1028 के हाल खसरा नंबर 1334 / 1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर बनाये गये है। की खातेदार श्रीमती मखनी देवी पत्नी रामावतार थी, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिए विक्रय पत्र उक्त भूमि क्रय की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नंबर 1333 व 1334 / 1925 की रिर्कोडेड खातेदार काबिज काश्तकार है। खसरा नंबर 1334 / 1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर वादी की खातेदारी का क्षेत्र नहीं है, वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1334 रकबा 0.79 हैक्टेयर है, जो गत खसरा नंबर 524 / 1 / 1029 से बनाया गया है। खसरा नंबर 1334 / 1925 रकबा 0.36 रकबा हैक्टेयर पर वादी का दिनांक 04.08.1989 से कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी ने पूर्व खातेदार रामविलास पुत्र भैरू जाति कुमावत से पर्चा खतौनी [illegible] नहीं हुई थी, जिसमें गलत रकबा दर्ज किया गया था के आधार पर प्रतिवादी विक्रय [illegible] दिनांक 04.08.1989 के द्वारा खसरा नंबर 1334 की भूमि क्रय की है तथा गलत रकबा दर्ज विक्रय पत्र के आधार पर ही सीमांतरकरण स्वीकार किया गया है। पर्चा खतौनी में खसरा नंबर 1334 का रकबा 1.13 हैक्टेयर गलत दर्ज होने से राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 के अनुसार पर्चा खतौनी में दुरूस्ती कर खसरा नंबर 1334 का सही रकबा 0.79 दर्ज किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

है। खसरा नंबर 1334 गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा से बनाया गया है। इस प्रकार गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा 5 बीघा व खसरा नंबर 524/1/1029 रकबा 7 बीघा के खातेदार भिन्न–भिन्न है। वाद पत्र की मद संख्या 3 गलत लिखी होने से अस्वीाकर है। ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा 5 बीघा के खातेदार लाला पुत्र गोपी, जाति जाट था, उसके पश्चात मखनी देवी पत्नी रामावतार खातेदार रही तथा खसरा नंबर 524/1/1029 रकबा 7 बीघा के खातेदार झूथा पुत्र सेवा था, उसके पश्चात गत खसरा नंबर 524/1/1029 के हाल बने खसरा नंबर 1334 रकबा 0.79 हैक्टेयर का खातेदार रामविलास पुत्र भैरूराम रहा है। जिससे वादी ने विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया है तथा अन्य नये खसरा नंबरान् के अन्य खातेदार है। इस प्रकार गत खसरा नंबर 524/1/1028 के हाल खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर तथा गत खसरा नंबर 524/1/1029 रकबा 7 बीघा के हाल खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1334 रकबा 0.79 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर बनाये गये है तथा हाल खसरा नंबर 1321 व 1334 हनुमान पुत्र मांगू व गोपाल पुत्र मांगू के नाम दर्ज रहे हैं तथा हाल खसरा नंबर 1333 व 1334/1925 मखनी देवी के नाम दर्ज रहे हैं। इस प्रकार खसरा नंबर 1321 व 1334 के खातेदार हनुमान व गोपाल पुत्रान् मांगू रहा है, जिसने अपने खसरा नंबरान् का बेचान किया है तथा खसरा नंबर 1333 व 1334/1925 के खातेदार अलग रहे है। उन्होंने अलग व्यक्ति को बेचान किया है तथा पर्चा खतौनी में गलत पूर्व खातेदार दर्ज हो गये थे, उनको दुरूस्त राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 के द्वारा किया गया है। वाद पत्र की मद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 की अनुपालना में संपूर्ण राजस्थान में पूर्व में रकबा या राजस्व रिकॉर्ड में गलतियां हो गई थी उसको दुरूस्त भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान दुरूस्त किया गया था तथा खसरा नंबर 1334 का रकबा 1.13 हैक्टेयर गलत दर्ज कर दिया गया था, जिसको उक्त प्रक्रिया के तहत दुरूस्त कर अधिक रकबा को दुरूस्त कर सही राजस्व रिकॉर्ड बनाया गया तथा गत खसरा नंबर 524/1/1028 का रकबा 5 बीघा था के हाल खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर ही बनाये गये थे तथा रकबा का मिलान कर जिसको पूरा किया गया है। इस प्रकार भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 से किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं की गई है। गत खसरा नंबर 524/1/1029 का रकबा 7 बीघा है, जिसका कनर्वट एरिया 1.77 हैक्टेयर होता है तथा गत खसरा नंबर 524/1/1029 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1334 रकबा 0.79 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर है, जो पूरा है, किसी प्रकार से कमी–बेसी नहीं है तथा गत खसरा नंबर 524/1/1028 का रकबा 5 बीघा है, जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर बनाये गये है, जो 5 बीघा का कन्वर्ट एरिया 1.26 हैक्टेयर ही होता है। इस प्रकार वादी का कथन सरासर गलत है तथा किसी प्रकार की गलती राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए दावा निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 5 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व खातेदार मखनी देवी ने गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा 5 बीघा भूमि पर कब्जा संभलाया है तथा विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया है, गत खसरा नंबर 524/1/1028 की भूमि के हाल खसरा नंबर 1333 व 1334/1925 बनाये गये है। उससे वादी का कोई संबंध नहीं है तथा वादी को इसके संबंध में कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। गत खसरा नंबर 524/1/1028 की खातेदार मखनी देवी थी, उसके द्वारा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान की है तथा संपूर्ण भूमि 5 बीघा पर कब्जा संभलाया है। गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1333 व 1334/1925 बनाये गये है। इसके संबंध में वादी को किसी प्रकार का वाद लाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वादी ने मखनी देवी से जमीन क्रय नहीं की है, रहा सवाल खसरा नंबर 1334/1925 का जिसको मखनी देवी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दी है तथा कब्जा संभलाया है तथा खातेदार मखनी देवी के जीवनकाल से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, इसके संबंध में एतराज करने का अधिकार केवल मखनी देवी को है, वादी को किसी प्रकार का वाद लाने का अधिकार नहीं है। वादी ने गत खसरा नंबर 524/1/1029 के खातेदार से खसरा नंबर 1334 की भूमि क्रय की है, वादी को खसरा नंबर 524/1/1029 के खातेदार पर दावा लाना चाहिए, इसलिए वाद पत्र निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 7 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। वादी ने पर्चा खतौनी में गलत दर्ज रकबा के आधार पर विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया है, जिसके लिए वादी स्वयं जिम्मेदार है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की गयी है, इसलिए वाद निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 8 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कभी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही दुरूस्ती का कोई आश्वासन दिया गया और ना ही किसी भी दिनांक को कोई धमकी नहीं दी गयी है। संपूर्ण इबारत गलत व कल्पाना के आधार पर लिखी गयी है। मद संख्या 9 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार है, जिसको हर प्रकार से [illegible] उपभोग में लेने का अधिकार है। वादी का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है, [illegible] निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 10 गलत लिखी होने से अस्वीकार [illegible] दिनांक 02.03.2008 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही वादी का कोई ए[illegible]यां धमकी दी गयी है। वाद पत्र की मद संख्या 11 गलत लिखी होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातदेार है, जिसको हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। वादी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद करवाये। वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आसेर म. अ.

की मद संख्या 12 व 13 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 14, 15, 16 में वर्णित तथ्य कानूनी होने से न्यायालयके गौर तलब है। वादी किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा वादी का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के वर्तमान खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर वादी की खातेदारी का क्षेत्र है तथा वादी खरीद के समय दिनांक 04.08.1989 से निरंतर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है, इसलिए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ?

...........वादी

2. आया वर्तमान बंदोबस्त भू–प्रबंध के कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 से साजकर वादी की आराजी खातेदारी खसरा नंबर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर में से जमा बट्टा नंबर 1334/1925, हाल का 0.36 हैक्टेयर रकबा कम कर के प्रतिवादी संख्या 1 को खाते में अनाधिकार रूप से अंकित कर दिया ?

...........वादी

3. आया वाद कारण दिनांक 02.03.2008 को एलानियां धमकी से उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है ?

...........वादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

...........वादी

5. आया राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 के अनुसार पर्चा खतौनी में दुरूस्ती कर खसरा नंबर 1334 का रकबा 0.79 हैक्टेयर दर्ज किया है ?

...........प्रतिवादी संख्या 1

6. आया गत खसरा नंबर 524/1/1029 रकबा 7 बीघा के हाल खसरा नंबर 1334 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर बनाये है तथा गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible]25 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर [illegible] जो राज[illegible]कॉर्ड के अनुसार सही है ?

...........प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्लू 1 हनुमान सहाय पुत्र स्व. रामनारायण, स्वतंत्र गवाह पी.डब्लू 2 सेडूराम पुत्र सूरज का पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989, प्रदर्श 2 नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 21.08.1989, प्रदर्श 3 नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 30.06.

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1988 प्रदर्श 4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 5 नम्बर 1334, प्रदर्श 6 जमाबंदी खसरा नम्बर जमाबंदी खसरा 1334/1925, प्रदेश 7 विक्रय पत्र दिनांक 21.05.1988 बहक प्रतिवादी संख्या 1 लच्छी देवी खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर बाबत, प्रदर्श 8 विक्रय पत्र बहक क्रेता लल्लुलाल पुत्र सूरजमल के प्रदर्शित करवायें।

प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के समर्थन में प्रतिवादी साक्ष्य में डी.डब्लू 1 लच्छी देवी पत्नी नानगराम के साक्ष्य पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श ए–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–2, नामान्तरकरण संख्या 183 प्रदर्श ए–3, पर्चा खतौनी प्रदर्श ए–4, जमाबंदी प्रदर्श ए– 5, जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 खाता संख्या क्रमशः 381, 421, 456, 318, 391, 423 प्रदर्श ए–6 से ए– 11, जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059, खाता संख्या 363 प्रदर्श ए–12, जमाबंदी खाता संख्या 401 प्रदर्श ए–13, पर्चा खतौनी प्रदर्श ए–14 व ए–16, खसरा पत्रक प्रदर्श ए–17 से ए–19 प्रदर्शित करवाये।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकी संख्या 1 आया ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के वर्तमान खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर वादी की खातेदारी का क्षेत्र है तथा वादी खरीद के समय दिनांक 04.08.1989 से निरंतर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है, इसलिए वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ?

............वादी

तनकी संख्या 2 आया वर्तमान बंदोबस्त भू–प्रबंध के कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 से साजकर वादी की आराजी खातेदारी खसरा नंबर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर में से जमा बट्‌टा नंबर 1334/1925, हाल का 0.36 हैक्टेयर रकबा कम कर के प्रतिवादी संख्या 1 को खाते में अनाधिकार रूप से अंकित कर दिया ?

............वादी

तनकी संख्या 1 एवं 2 सुविधा के दृष्टिगत एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादीगण के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर के विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया 1.13 हैक्टेयर का बेचान विक्रेता रामविलास पुत्र भैरूराम ने वादी के हक में बेचान कर मौके पर रकबा 1.13 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्रतिफल राशि 36,500/– रूपये प्राप्त कर वादी को सुपुर्द करना अंकित किया है। विक्रेता ने प्रदर्श 1 विक्रय पत्र में उक्त विक्रित भूमि हनुमान पुत्र मांगू व गोपाल पुत्र हनुमान सहाय से क्रय करना अंकित है, विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

पत्र के आधार पर वादी के हक़ में नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 21.08.1989 को खसरा नम्बर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर भूमि का स्वीकृत हुआ जिसे वादी ने प्रदर्श 2 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। तनकी संख्या 1 व 2 के खण्डन में प्रतिवादी ने स्वयं के में हुये विक्रय पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाया तथा साबिक खसरा नम्बर जमाबंदी प्रदर्श ए–1 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–2 प्रदर्शित करवाये। तथा जवाबदावे में गलत अभिवचन किये है कि खसरा नम्बर 1334 का रकबा विक्रय पत्र में गलत अंकित हो गया, जिसकों दुरुस्त किया जावे। कानूनन राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे इन्द्राज दुरुस्ती हेतु निर्देश नही दे सकता है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक विनिश्चय आर आर टी 2020 (1) पेज 258 मे प्रतिपादित किया है। प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत कथन किया कि खसरा नम्बर 1333 व 1334/1925 मखनी देवी के नाम दर्ज रही। बल्कि मखनी देवी के नाम खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टयर की खातेदारी कभी दर्ज नही रही, मक्खनी देवी, गीता देवी, हनुमान, गोपाल के नाम हैक्टयर की खातेदारी दर्ज रही, जिसका बेचान उक्त मक्खनी देवी वगैरह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया, जिसकी पुष्टि विक्रय पत्र प्रदर्श–7 खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 के पृष्ठ संख्या 2 के प्रथम पैरा से स्पष्ट होती हैं। पैरा निम्न प्रकार हैः– यह है कि हमको अपने घरेलू खर्च एवं अन्य आवश्यकताओ को पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः हमने उक्त उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 1333 क्षेत्रफल 0.90 हैक्टयर के कृषि एवं खातेदारी हकूक को मय बोंल, सूंल, पानी, पूला, वृक्षादि के मुबलिग 13,000/– रूपये अक्षरे अट्ठारह हजार रूपये के बदले श्रीमती लच्छीदेवी धर्मपत्नी श्री नानगराम जाति माली निवासी ढेरकाबालाजी चौंमू रोड जयपुर जिला जयपुर के हित मे कतई विक्रय कर दिया है, तथा रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशि नकद प्राप्त करके उक्त विक्रित आराजी का कब्जा उक्त क्रेती को मौके पर जाकर सम्भला दिया है, त उक्त क्रेती को उक्त विक्रित आराजी का हमारे समान खातेदार, काश्तकार, स्वामी, अधिकारो तथा काबिजदार बना दिया है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लच्छी देवी को केवल मात्र हाल खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टयर का ही बेचान हुआ है। भू प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टयर का अंकन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किया है। इसके विपरीत वादी के हक मे हुए पंजीकृत विकय पत्र मे वादी के द्वारा क्रय किया गया खसरा नम्बर 1334 रकबा 1.13 हैक्टयर है, जिसका भू प्रबन्ध विभाग द्वारा 1334 रकबा 0.79 हैक्टयर, अंकित किया तथा बटा नम्बर डालकर खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टयर वादी के नाम दर्ज नही कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दिया। इस कारण से खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टयर का वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के हक में हुए विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

प्रदर्श 7 मे वर्णित कथनो के विपरीत जाकर जरीये दावे मे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिकी के खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टयर, के इन्द्राज का कथन अंकित किया है। साथ ही गत खसरा नम्बर 524/1/1028 व खसरा नम्बर 524/1/1029 का रकबा 12 बीघा है, जिससे हाल खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.98 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1334 रकबा 1.13 हैक्टयर, है। खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.98 हैक्टयर का विक्रय हनुमान पुत्र मांगू, गोपाल पुत्र हनुमान के केता भैरूराम, व रामेश्वरी देवी के द्वारा दिनांक 04.08.1989 के विक्रय पत्र से प्रतिफल राशि 31,500 रूपये प्राप्त कर लल्लूलाल पुत्र सूरजमल को विक्रय किया है, जो प्रदर्श – 8 से साबित है। खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टयर का विक्रय श्रीमती मक्खनी देवी पत्नी रामावतार, श्रीमती गीतादेवी पत्नी मोहनलाल, हनुमान पुत्र मांगू गोपाल पुत्र हनुमान ने दिनांक 21.05.1988 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय प्रतिफल राशि 13000/– रूपये प्राप्त कर बेचान किया है, जो प्रदर्श–7 से साबित है। तथा खसरा नम्बर 1334 रकबा 1.13 हैक्टयर का विक्रय रामविलास पुत्र भैरूराम द्वारा उक्त भूमि हनुमान पुत्र मांगू व गोपाल पुत्र हनुमान से कय करने के पश्चात् बेचान वादी को दिनांक 04.08.1989 को विक्रय प्रतिफल राशि 36500 रूपये प्राप्त कर बेचान किया है, जो प्रदर्श – 1 से साबित है। उक्त तीनो विक्रय पत्र प्रदर्श 1, 7, 8 द्वारा सम्पूर्ण 12 बीघा भूमि का विक्रय कर दिया गया है, विक्रय पत्रो के आधार पर नामान्तकरण भी क्रेतागण के नाम स्वीकृत हुआ, जो कि प्रदर्श 2 व 3 है। लेकिन भू प्रबन्ध द्वारा खसरा नम्बर 1334 मे से बटा नम्बर 1334/ 1925 रकबा 0.36 हैक्टयर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने विक्रय पत्र प्रदर्श 7 के माध्यम से केवल मात्र खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टयर भूमि ही कय की थी। उससे अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भू प्रबन्ध विभाग को दर्ज करने का अधिकार नही था। इस प्रकार तनकी संख्या 1 व 2 को वादी अपने साक्ष्यो से बखूबी साबित करवाया है। अतः तनकी संख्या 1 एवं 2 वादी के पक्ष में निर्णत की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वाद कारण दिनांक 02.03.2008 को [illegible]नियां धमकी से उत्पन्न हुआ जो निरंतर जारी है ?

............वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या 1 लच्छी ने अपने बयानो में स्पष्ट स्वीकार किया है की पन्द्रह वर्ष पूर्व उसे वादी द्वारा दुरूस्ती करवाने के लिए कहां गया है इससे साबित है कि उक्त दिनांक को वादकारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

...........वादी

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श 1 में खसरा नम्बर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर का कब्जा विक्रेता द्वारा मौके पर वादी को सुपुर्द किया है उक्त अनुसार वादीगण ने इस तनकी को बखूबी साबित किया है। अतः तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 आया राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 के अनुसार पर्चा खतौनी में दुरूस्ती कर खसरा नंबर 1334 का रकबा 0.79 हैक्टेयर दर्ज किया है ?

...........प्रतिवादी संख्या 1

तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। उक्त तनकी राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 13 दिनांक 23.05.1994 के अनुसार कायम की गई है उक्त आराजी परिपत्र के लगभग 5 वर्ष पूर्व ही पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वादी ने भूमि क्रय की है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त परिपत्र के लगभग 6 वर्ष पूर्व भूमि प्रदर्श–7 विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है। इस प्रकार क्रेतागण पर परिपत्र का प्रभाव नही है। अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 साबित करने में असफल रहे है फलस्वरूप तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 आया गत खसरा नंबर 524/1/1029 रकबा 7 बीघा के हाल खसरा नंबर 1334 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर बनाये है तथा गत खसरा नंबर 524/1/1028 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर बनाये है, जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही है ?

...........प्रतिवादी संख्या 1

तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी भूमि विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की है जोकि प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श 7 विक्रयपत्रों से साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विक्रय पत्रो से बाहर जाकर कथन किया है जोकि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व साबिज है। ऐसी स्थिति में उक्त अनुतोष मेन्टेनेबल नहीं है तथा अप्रासंगिक है। अतः उक्त तनकी को अर्थहीन व अनावश्यक (Infructuous) निर्णित किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 6, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 06 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को बखूबी साबित किया हैं तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्रीमती सुमन चौधरी** (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –48/2018 वाद प्रस्तुति दिनांक –04.04.2008

1. रामनारायण पुत्र बेणाराम (मृतक दौराने वाद) जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
   - 1/1. जमना देवी पत्नी स्व. रामनारायण
   - 1/2 हनुमान पुत्र स्व. रामनारायण
   - 1/3 राजेश पुत्र स्व. रामनारायण
   - 1/4 बरदी पुत्री स्व. रामनारायण
   - 1/5 सीमा पुत्र स्व. रामनारायण
   - 1/6 भौरी पुत्री स्व. रामनारायण

   समस्त जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

............वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लच्छी देवी पत्नी नानगराम जाति माली हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमान तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर व जिला जयपुर।

................प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अंतर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 25.04.2025

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर ग्राम जयरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.04.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——

ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी [illegible]	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर